भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *293

13.03.2020 को उत्तर के लिए

वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियां

***293. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पक्षियों सहित वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियां, उनके उद्गम/गंतव्य देश और उनके प्रवास का मौसम जब वे हमारे देश में आते हैं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में प्रवास करने वाली ऐसी प्रजातियों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी संख्या बढ़ाने और देश में उनके वास को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों' के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दिनांक 13.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *293 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भारत अनेक प्रवासी प्रजातियों के लिए प्रमुख पर्यावास है। यद्यपि इस मंत्रालय में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में आने वाली सभी प्रवासी प्रजातियों के संबंध में विस्तृत आकलन नहीं कराए गए हैं, तथापि वैज्ञानिक संस्थाओं सहित विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित साहित्य-सामग्रियों में यह संकेत किया गया है कि प्रवासी पक्षियों की लगभग 460 प्रजातियां भारत में आती हैं, जिनमें से 175 प्रजातियां मध्य एशियाई फ्लाइवे (सीएएफ) क्षेत्र से गुजरते हुए प्रवास हेतु लंबी दूरी तय करती हैं। सीएएफ मार्ग से आने वाले पक्षियों में इजिपश्यन वल्चर, प्लोवर, डक, स्टॉर्क, आइबिस, फ्लेमिंगों, पोचार्ड, सोश्येबल लैपविंग, यूरोपियन रॉलर, यूरेशियन गोल्डन ओरियोल आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रवास के लिए भारत में आने वाली अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों में हिम तेंदुआ, अरब सागरीय हम्पबैक ह्वेल, डुगोंग, समुद्री कछुए आदि शामिल हैं।

आमतौर तौर पर, सर्दियों के मौसम के दौरान पक्षी उत्तरी गोलार्द्ध से उष्णकटिबंधीय/भू-मध्य रेखीय क्षेत्रों के अधिक गर्म क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। शीतकाल में आने वाले पक्षी भारत में अक्तूबर तक आते हैं और मार्च/अप्रैल तक रहते हैं। गर्मियों के मौसम में आने वाले पक्षी आम-तौर पर मार्च के मध्य से भारत आना शुरू करते हैं और अगस्त तक भारत में प्रवास करते हैं।

भारत में प्रवास करने के कारणों में प्रवास के मौसम के दौरान बेहतर आहार, अनुकूल पर्यावास और बेहतर प्रजनन स्थलों की उपलब्धता शामिल हैं।

(ख): भिन्न-भिन्न कालाविधियों में भारत में प्रवास हेतु आने वाली प्रवासी प्रजातियों की कुल संख्या में कमी एवं वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कोई आकलन नहीं कराया गया है।

(ग) से (ड.): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रवासी प्रजातियों सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं-वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, हाथी परियोजना और बाघ परियोजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-1** और **अनुबंध-2** और **अनुबंध-3** में दिया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्रवासी प्रजातियों के अनेक महत्वपूर्ण पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।
ii. भारत में पाई जाने वाली हिम तेंदुआ, ओलिव रिडली टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गांगेय डॉलफिन, डुगोंग आदि जैसी दुर्लभ और संकटापन्न प्रवासी प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके उन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है।
iii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है।
iv. मध्य एशियाई फ्लाइवे के किनारे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है।

v. नागालैंड राज्य में एमुर फाल्कन संरक्षण, गुजरात में ह्वेल शार्क संरक्षण, तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण, ओडिशा में ओलिव रिडली टर्टल संरक्षण जैसी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के कार्यकलापों में स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है।

vi. भारत ने प्रवासी प्रजातियों से संबंधित संधि (सीएमएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और उसने साइबेरियन सारसों, समुद्री कछुओं, डुगोंग और रैप्टरों सहित प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

****

अनुबंध-1

'वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों' के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दिनांक 13.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *293 के भाग (ग), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

केंद्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीवों के पर्यावास का विकास' के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (09.03.2020 की स्थिति के अनुसार)**
1	अंडमान निकोवार द्वीप समूह	118.49	141.934	191.00	132.64
2	आंध्र प्रदेश	0	0	75.00	0
3	अरुणाचल प्रदेश	256.8107	269.9348	344.42	414.14
4	असम	0	275.827	265.32	164.26
5	बिहार	100.576	322.674	749.00	148.142
6	चंडीगढ़	26.06514	26.065	0	0
7	छत्तीसगढ़	278.9453	435.014	350.61	310.0318
8	गोवा	0	85.9938	0	111.654
9	गुजरात	497.604	558.52	2232.00	0
10	हरियाणा	124.6572	181.4448	155.00	237.6078
11	हिमाचल प्रदेश	280.31	237.4107	370.30	305.76554
12	जम्मू और कश्मीर	336.50626	577.9151	492.43	0
13	झारखंड	0	95.607	50.51	93.96
14	कर्नाटक	325.52	427.89	653.00	739.046
15	केरल	1928.42	900.834	1293.40	845.026
16	मध्य प्रदेश	322.265	1379.488	912.20	629.266
17	महाराष्ट्र	497.35	808.0555	1031.20	715.784
18	मणिपुर	340.032	425.664	405.60	359.35
19	मेघालय	55.23	114.061	312.00	238.839
20	मिजोरम	1234.95	487.445	430.00	431.79
21	नागालैंड	357.846	565.871	882.20	777.83
22	ओडिशा	279.65	342.937	499.00	701.504
23	राजस्थान	453.87878	622.421	585.00	679.5678
24	सिक्किम	145.52	202.154	394.00	396.275
25	तमिलनाडु	0	394.725	384.10	409.5048
26	तेलंगाना	0	157.0833	0	0
27	उत्तर प्रदेश	250.956	386.968	119.81	426.611
28	उत्तराखंड	545.30576	2979.361	1764.10	1126.19
29	पश्चिम बंगाल	237.66	657.992	960.60	891.073
30	पुडुचेरी	0	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	6.71	46.30	136.792
32	दिल्ली	0	0	551.90	0
33	डब्ल्यूआईआई, देहरादून - (उत्तराखंड)	0	932.00	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	90.31679
	कुल	**8994.54814**	**15000.00**	**16500.00**	**11512.96653**

अनुबंध-2

'वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों' के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दिनांक 13.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *293 के भाग (ग), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

केन्द्र प्रायोजित योजना- हाथी परियोजना के तहत जारी निधियों का विवरण

(रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (09.03.2020 की तिथि के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	13.62282	17.394	29.016	127.03
2	अरुणाचल प्रदेश	100.062	118.8504	0.00	103.26831
3	असम	275.6668	0.00	354.35103	
4	छत्तीसगढ़	61.1624	48.00	65.28	
5	झारखंड	95.7704	105.5184	116.4636	131.586
6	कर्नाटक	254.80	355.5484	353.91401	319.64799
7	केरल	429.8712	482.55	466.69	312.2736
8	महाराष्ट्र	14.335	27.00	46.536	44.1944
9	मेघालय	130.266	162.849	217.8792	177.8976
10	नागालैंड	20.3143	25.20	141.219	213.9498
11	ओडिशा	284.0342	124.8382	197.28	319.1328
12	तमिलनाडु	25.80	291.92	383.106	275.1576
13	त्रिपुरा	22.464	10.08	43.92	45.38
14	उत्तर प्रदेश	14.174	30.672	20.244	37.74
15	उत्तराखंड	175.4576	341.563	192.168	417.312
16	पश्चिम बंगाल	101.45	79.93022	83.94	113.254
17	हरियाणा	0.00	17.76	8.385	13.44
18	बिहार	16.2904	154.40	165.32376	57.02752
19	राजस्थान	15.84	14.454	12.6596	35.28
20	पंजाब	1.825	0.00	0.00	
21	मध्य प्रदेश	6.8442	0.00	4.7578	13.695
22	मणिपुर	0.00	10.80	9.072	10.944
	कुल	**2060.05032**	**2419.32762**	**2912.205**	**2768.21062**

अनुबंध -3

'वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों' के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दिनांक 13.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *293 के भाग (ग), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

केंद्र प्रायोजित योजना- परियोजना बाघ के तहत जारी निधियों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	**2016-2017**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20** (आज तक)
1	आंध्र प्रदेश	173.49	232.49	217.99	114.48
2	अरुणाचल प्रदेश	597.289	641.9432	929.762	737.08
3	असम	1510.921	2309.608	1919.624	2198.76
4	बिहार	487.84	552.27	570.9	562.84
5	छत्तीसगढ़	626.567	1315.076	536.135	358.53
6	झारखंड	323.76	338.62	367	1432.07
7	कर्नाटक	3203.6144	2263.846	2267.428	2252.03
8	केरल	780.23	636.412	653.03	607.07
9	मध्य प्रदेश	12885.6	11455.457	5343.89	3501.91
10	महाराष्ट्र	8229.72	6524.165	11049.59	7220.39
11	मिजोरम	301.55	215.316	318.842	337.7
12	ओडिशा	917.17	1646.127	1022.322	1303.32
13	राजस्थान	381.3	773.09	791.83	1203.19
14	तमिलनाडु	949.87	2551.058	2366.823	1586.91
15	तेलंगाना	239.26	350.416	1115.65	359.911
16	उत्तर प्रदेश	1057.05	820.074	1417.26	1242.49
17	उत्तराखंड	1023.41	1187.439	685.336	2289.18
18	पश्चिम बंगाल	536.14	597.5808	719.01	758.47
19	अखिल भारतीय बाघ संख्या अनुमान 2018	-	14.93	24.865	-
	कुल	34224.7814	34425.918	32317.287	28066.331

****